कल्याणकारी उपाय

कल्याणकारी उपाय

कोल इंडिया

1. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए लिए गए नीतिगत निर्णय–

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, सीआईएल द्वारा सीआईएल समान अवसर नीति नामक एक नीति तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी सुविधाएं, प्रौद्योगिकी, सूचना और विशेषाधिकार सुलभ हो। सीआईएल समान अवसर नीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं: –

1) सुविधा और सुविधाएं – आवश्यकता के अनुसार पहुंच योग्य मानक के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा।

2) पदों की सूची की पहचान।

3) भर्ती उपरांत और पदोन्नति–पूर्व–प्रशिक्षण।

4) स्थानांतरण/पदोन्नति के दौरान तैनाती के स्थान हेतु वरीयता।

5) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान।

6) आवासीय आवास के आवंटन में वरीयता।

7) सहायता/सहायक उपकरण प्रदान करना–सहायक उपकरण (कम दृष्टि एड्स, बैटरी के साथ श्रवण यंत्र सहित), विशेष फर्नीचर, व्हील चेयर (कर्मचारी द्वारा आवश्यक होने पर मोटर चालित), कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर उनकी दक्षता में सुधार के लिए उनके कार्य हेतु उपयोग के लिए।

8) दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण मामलों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी।

9) दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों की देखभाल के लिए शिकायत निवारण अधिकारी।

10) कार्यस्थल पर पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण:

   क) प्रवेश द्वार पर रैंप

   ख) रेलिंग

   ग) सुलभ शौचालय

   घ) व्हील चेयर

   ङ) लिफ्ट/एलिवेटर्स

11) यात्रा/प्रशिक्षण के दौरान यात्रा हेतु दिव्यांग कर्मचारी के साथ जाने वाले परिचर/एस्कार्ट को यात्रा भत्ता (यात्रा भाड़ा) का भुगतान किया जाता है।

इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार 2016 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 34 के तहत खंड (ए), (बी), और (सी) के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को 1% और खंड (डी) और (ई) के तहत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है:

क) अंधापन और कम दृष्टि

ख) बहरा और सुनने में मुश्किल

ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, निदान, बौनापन, एसिड हमले के शिकार और मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता;

घ) आट्रिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक बीमारी;

(ड) खंड (क) से (घ) के अंतर्गत व्यक्तियों में से बहु–दिव्यांगता जिसमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए अभिज्ञात पदों में बहरापन भी शामिल है।

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में, 01.01.24 को

कुल 231058 कर्मचारियों में से 822 दिव्यांग कर्मचारी हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से कोई बजट आबंटित नहीं किया जाता है। तथापि, कल्याण कार्यकलापों में खर्च की गई राशि दिव्यांग व्यक्तियों सहित सीआईएल के सभी कर्मचारियों के लिए है, जिसमें दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाती है।

2. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयनः

दिनांक 01.01.2024 को सीआईएल में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरणः

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ईसीएल	49,317	16	23	78
बीसीसीएल	34,582	16	6	27
सीसीएल	34,230	25	16	32
डब्ल्यूसीएल	33,422	68	13	112
एसईसीएल	40,073	29	10	124
एमसीएल	13,641	7	8	48
एनसीएल	21,652	39	17	85
एनईसी	2775	1	0	14
सीएमपीडीआई	122	0	0	0
डीसीसी	595	0	0	1
सीआईएल (मुख्यालय)	649	2	0	5
कुल सीआईएल	**2,31,058**	**203**	**93**	**526**

3. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस को आरक्षणः

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के संबंध में भर्ती के दौरान और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संबंध में पदोन्नति के दौरान आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

	सीधी भर्ती				पदोन्नति		
समूह–क और ख पदों के लिए	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	समूह क, ख, ग और घ के लिए	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार (लिखित)	15%	7 ½%	27%	10%	अखिल भ. ारतीय	15%	7 ½%
लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित न करने के अलावा अखिल भारतीय आधार पर	16⅔%	7 ½%	शेष 50% तक सीमित	10%			

उपरोक्त के अलावा, जहां राज्य–वार आरक्षण मानदंडों का पालन किया जा रहा है और जहां सहायक कंपनियां प्रचालनरत हैं, वहां समूह ग पदों पर भर्ती में आरक्षण के संबंध में एक निदेश है। सहायक कंपनी–वार/राज्य–वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

कंपनी	राज्य	अनुसूचित जाति का %	अनुसूचित जनजाति का %	अन्य पिछड़ा वर्ग का %
बीसीसीएल	झारखंड	12	26	12
सीसीएल	झारखंड	12	26	12
सीएमपीडीआईएल	झारखंड	12	26	12
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	23	5	22
सीआईएल, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	23	5	22
एमसीएल	ओडिशा	16	22	12
एनसीएल	मध्य प्रदेश	15	20	15
एसईसीएल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	12	32	13
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	10	9	27
एनईसी	असम	7	12	27

सीआईएल में दिनांक 01.01.2024 को समूह–वार जनशक्ति के साथ–साथ एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
क	15439	2491	1037	3361
ख	16368	2229	1627	3835
ग	113796	21361	17270	26750
घ	85455	18520	13209	24350
कुल	**231058**	**44601**	**33143**	**58296**

कल्याण से संबंधित एससीसीएल इनपुट:

कल्याणकारी उपाय

कर्मचारी कल्याण उपाय :

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जा रहा है और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां जैसे आवास और स्वच्छता, शैक्षिक, मनोरंजन, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जारी रखी जा रही हैं।

आवास: समग्र आवास संतुष्टि 100% है।

शिक्षा: कंपनी कर्मचारियों के बच्चों और आस–पास के अन्य निवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 9 हाई स्कूल, 1 महिला पीजी और डिग्री कॉलेज और 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रही है। इसके अलावा, दिव्यांग छात्रों के लिए 3 स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पेयजल: कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यालयों, खानों, अस्पतालों, गेस्टहाउसों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि में आरओ शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए जाते हैं।

योग एवं मनोरंजन: पूरे वर्ष बड़े पैमाने पर योग एवं ध्यान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को खेल सुविधाएं एवं आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा रहा है तथा उन्हें खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए सेवानिवृत्त पश्चात् अंशदायी चिकित्सा योजना लागू की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अर्थात जनता कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना (जेपीएआईएस), परिवार लाभ बीमा योजना (एफबीआईएस), समूह बीमा योजना, कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) और अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना कार्यान्वित की जा रही हैं।

अनुकंपा आधारित रोजगार: सेवा के दौरान मरने वाले या चिकित्सकीय रूप से अक्षम हो जाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: एससीसीएल के पास अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 7 क्षेत्रीय अस्पताल और 21 डिस्पेंसरी हैं, जिनमें 821 बिस्तर हैं। एससीसीएल प्रोत्साहक, निवारक, चिकित्सीय, (अंदरूनी रोगी, बाह्य रोगी, नैदानिक, रोगात्मक), व्यावसायिक, रेफरल सेवाएं (हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल और खम्मम आदि में एससीसीएल के साथ सूचीबद्ध 75 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल) प्रदान कर रहा है।

सहकारी समिति एवं बिक्री डिपो: खानों और विभागों में कार्यरत एससीसीएल के कामगारों को "कर्मचारी सहकारी ऋण समिति" का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि बचत की संस्कृति को विकसित किया जा सके और कर्मचारियों को ऋण प्राप्त करने के लिए साहूकारों के पास जाने से बचाया जा सके।

अन्य: निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं

- कर्मचारियों के बच्चों को मेरिट छात्रवृत्ति
- आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश लेने पर एनसीडब्ल्यूए कर्मचारियों के बच्चों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति।
- शुद्ध लाभ में से विशेष प्रोत्साहन का भुगतान।
- प्रदर्शन आधारित पुरस्कार योजना का भुगतान।
- त्यौहार अग्रिम का भुगतान.
- एनसीडब्ल्यूए की महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करना।
- गृह निर्माण ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति योजना।
- कर्मचारियों के घरों में एसी कनेक्शन की सुविधा ।

सिंगरेनी सेवा समिति (एस.एस.एस.)

- समिति सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए काम करती है, जिसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो गए; तथा सामान्य रूप से कोयला बेल्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काम करती है। सिंगरेनी सेवा समिति के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने वाली महिलाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है और योग्य सेवा सदस्यों को समिति प्रमाण पत्र जारी किए गए। उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है–

विवरण	उम्मीदवारों की संख्या
जेएसएस/खादी ग्रामोद्योग महाविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण	19998
सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण	4086
विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कुल पीएपी/स्थानीय लोग	4261
प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा स्थापित कुल इकाइयाँ	3251
सेना/पुलिस में चयनित कुल उम्मीदवार	2016

उपरोक्त के अतिरिक्त–

- आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एससीसीएल क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये–
  - स्वच्छ/सुरक्षित पेयजल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना तथा सार्वजनिक

स्थानों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना ।

- आजादी का अमृत महोत्सव पर सिंगरेनी हाई स्कूल के छात्रों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन ।
- सिंगरेनी हाई स्कूल के छात्रों के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करना ।
- येल्लांडु क्षेत्र में कॉलोनियों, स्कूलों, खानों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया ।
- आरके8 डिस्पेंसरी कैंप, श्रीरामपुर क्षेत्र में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
- संगठित संपूर्ण एससीसीएल में हरिताहारम कार्यक्रम चलाया गया।

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर

एनएलसीआईएल

एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कल्याणकारी उपाय

दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अधिनियमन के अनुसार , एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में प्रत्यक्ष भर्ती के तहत रोजगार में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 4: आरक्षण का पालन किया जाता है और उन्हें बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहचाने किए गए उपयुक्त पदों पर नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023–24 में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 39 रिक्तियां भरी गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. समूह–क पद पर 6 रिक्तियां भरी गईं

ii. समूह–ख पद पर 6 रिक्तियां भरी गईं

iii. समूह–ग एवं घ पदों पर 27 रिक्तियां भरी गईं (विशेष भर्ती अभियान)

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए समान अवसर नीति लागू है, जिसके तहत कार्यस्थल पर सुलभ और बाधा मुक्त वातावरण, व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल शौचालय, सहायक उपकरण प्रदान करना, आवासीय आवास में वरीयता, तैनाती का विकल्प, इंडक्शन और भर्ती के बाद प्रशिक्षण, आरक्षित वाहन पार्किंग आदि जैसी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एनएलसीआईएल दिव्यांगजन अधिकारियों और गैर–संघटित पर्यवेक्षकों को कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत मूल वेतन के 35% की समग्र सीमा के अलावा प्रति माह मूल वेतन के 4% की दर से 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश और अतिरिक्त परिवहन सहायता प्रदान करता है, यदि उनके पास चार पहिया वाहन है तो 2% और यदि उनके पास दो पहिया वाहन है तो 2% जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड डीओपीएंडटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार 19–04–2017 से पीडब्ल्यूबीडी के लिए रोजगार में 4: आरक्षण (07–02–1996 से 18–04–2017 तक 3% आरक्षण) का पालन करता है और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यबल में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करता है।

अलग से कोई बजट प्रावधान नही है। तथापि एनएलसीआईएल दिव्यांग कर्मचारियों के अनुरोध पर कंपनी के राजस्व बजट के तहत नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार उनके कर्तव्यों के प्रभावी प्रदर्शन के लिए श्रवण यंत्रों या सहायक उपकरणों की लागत की प्रतिपूर्ति करता है।

31 दिसंबर, 2023 तक एनएलसीआईएल में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (एचएच, ओएच, वीएच श्रेणी के तहत) का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

समूह	कुल संख्या	बेंचमार्क दिव्यांगता की प्रकृति			
		एचएच	ओह	वीएच	कुल
क	3,042	4	31	2	37
ख	181	1	0	1	2
ग	5,711	10	69	15	94
घ	1,709	35	10	28	73
कुल	**10,643**	**52**	**116**	**44**	**214**

एचएच – श्रवण दिव्यांग; ओएच – अस्थि दिव्यांग; वीएच – दृष्टि दिव्यांग

दिव्यांग कर्मचारियों को प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों के अलावा, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा की गई कुछ अन्य पहलें इस प्रकार हैं:

क. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर के अंतर्गत चिकित्सा शिविर गतिविधियों के लिए 100.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। एनएलसी इंडिया अस्पताल ने 2023–24 के दौरान सीएसआर के तहत नेवेली के आस–पास के गांवों में 10 चिकित्सा शिविर आयोजित किए और राज्य सरकार के स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल में तेजी लाने के लिए और गांवों में स्क्रिनिंग के माध्यम से स्वास्थ्य परिणामों के लिए 2023–24 के दौरान सामुदायिक कार्यक्रमों को पुनर्जीवित किया है। इन चिकित्सा शिविरों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की जांच की गई तथा उनकी विकलांगता के आधार पर उन्हें मोटरयुक्त व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, सामान्य व्हीलचेयर, सेंसर युक्त ब्लाइंड स्टिकए वॉकर और ट्राइपॉड वितरित किए गए।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कुल 110 व्हीलचेयर, 02 मोटर चालित व्हीलचेयर, 02 ब्लाइंड स्टिक, 170 ट्राइपॉड और 93 वॉकर दिए गए। चिकित्सा शिविर में आर्थोपेडिक डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट की सिफारिश पर 238 श्रवण विकलांगता वाले रोगियों को श्रवण यंत्र दिए गए।

बुनियादी ढांचे, नवीकरण कार्यों, सुधार सुविधाओं पर 60.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। स्नेह अवसर स्कूल और सेवाओं (मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की सेवा में) के लिए वित्तीय सहायता / अनुदान से 82 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

ख. एनएलसी इंडिया लिमिटेड "स्नेहा अवसर सेवा और स्कूल" नाम से एक स्कूल चलाता है जिसे एनएलसीआईएल द्वारा संरक्षण दिया जाता है और यह विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 52 के तहत एसएस.338/2016 के तहत एक संस्थान के रूप में पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य मानसिक रूप से मंद बच्चों / बौद्धिक विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है।

स्नेहा स्कूल में नामांकित कुल बच्चे: **76**

स्नेहा स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या: **20**

ग) इसके अलावा, एनएलसीआईएल एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संरक्षित नेवेली हेल्थ प्रमोशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी (एनएचपीएसडब्ल्यूएस) नामक एक सोसायटी के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों को

व्हील चेयर, ट्राई–साइकिल और श्रवण यंत्र वितरित करता है। यह सोसायटी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक पुनर्वास केंद्र चलाती है, जो पुस्तक बाइंडिंग कार्य, कुर्सी बुनाई कार्य आदि में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सोसायटी ''वैगाई'' नाम से खुदरा दुकान चलाती है, जो दिव्यांगजनों सहित अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है।

एससी/एसटी को आरक्षण

एनएलसी इंडिया लिमिटेड सीधी भर्ती और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का ईमानदारी से पालन करता है। भर्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित पद आधारित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अनुसार की जाती हैं। एनएलसीआईएल में एससी और एसटी के लिए लागू आरक्षण नियमों/दिशानिर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारियों के अधीन अलग एससी और एसटी की अलग से सेल स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ ऐसे लाभों के लिए सही दावेदारों को मिले; एनएलसीआईएल प्रारंभिक नियुक्ति के समय संबंधित राज्य/जिला प्राधिकरणों/जिला स्तरीय सतर्कता समिति (डीएलवीसी)/राज्य स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी) के माध्यम से एससी/एसटी उम्मीदवारों की जाति की स्थिति का सत्यापन ईमानदारी से करता है ।

31 दिसंबर, 2023 तक एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कुल जनशक्ति 10,643 है और 31दिसंबर, 2023 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व उनके लिए लागू आरक्षण प्रतिशत के विरुद्ध नीचे दिया गया है।

समूह	कुल संख्या	आरक्षण का लागू %		अनुसूचित जातियों की संख्या		अनुसूचित जनजातियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनज. ाति का प्रतिशत
क	3042	15 & 16.66*	7.5	641	21.07	314	10.32
ख	181	15 & 16.66*	7.5	40	22.10	6	3.31
कुल	**3223**	**-**	**-**	**681**		**320**	

समूह	कुल संख्या	आरक्षण का लागू %		अनुसूचित जातियों की संख्या		अनुसूचित जनजातियों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनज. ाति का प्रतिशत
ग	5711	19	1	1118	19.58	57	1.00
घ	1709	19	1	421	24.63	05	0.29
कुल	**7420**	**-**	**-**	**1539**		**62**	

** खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए 15% आरक्षण।*

** खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए 16.66% आरक्षण।*

तमिलनाडु में समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए ऊपर दर्शाई गई आरक्षण की मात्रा लागू है। हालाँकि, समूह 'ग' और 'घ' के लिए आरक्षण की मात्रा, जो आम तौर पर एक इलाके या क्षेत्र से उम्मीदवारों को आकर्षित करती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डीओपीएंडटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय की जाती है।

लोक शिकायत निवारण – अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023

निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त सार्वजनिक शिकायत	आगे लाया गया/ प्राप्त	निवारण	लंबित
ऑनलाइन पोर्टल – एमओसी	245(6+239)	213	32
वीआईपी संदर्भ	21(3+18)	21	0
मुख्यमंत्री विशेष प्रकोष्ठ/चेन्नई	143	143	0
जिला कलेक्टर / कुड्डालोर	177	154	23
सीधे सीएमडी को संबोधित/मेल के माध्यम से	3	2	1
कुल	**589**	**533**	**56**

कर्मचारी कल्याण :

(i) 'शैक्षिक सहायता योजना (छात्रवृत्ति)

आरक्षण वर्ग	छात्रों की संख्या	स्वीकृत राशि रु.
सामान्य श्रेणी	251	24,24,000.00
एससी/एसटी श्रेणी	385	44,30,000.00
ओबीसी श्रेणी	616	70,28,000.00
कुल	**1252**	**1,38,82,000.00**

(ii) नकद पुरस्कार (अप्रैल–2023 से मार्च 2024)

शैक्षणिक वर्ष	दसवीं कक्षा		बारहवीं कक्षा	
	छात्रों की संख्या	राशि रु.	छात्रों की संख्या	राशि रु.
2022	80	40,000 (80 x 500)	69	69,000 (69 x 1000)
कुल छात्रों की संख्या	80 + 69 =149	कुल स्वीकृत राशि ₹ 1,09,000/- (40,000 + 69000)		

(iii) मृत्यु राहत कोष (अप्रैल–2023 से मार्च 2024)

कुल लाभार्थियों की संख्या: 84	सेवारत कर्मचारियों के वेतन से वसूली गई मृत्यु राहत राशि मृतक कर्मचारी के नामिती को देय होगी।

(iv) पारिवारिक राहत (अप्रैल–2023 से मार्च 2024)

लाभार्थियों की कुल संख्या : 78	पारिवारिक राहत राशि मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी को देय है।

(ii) नकद पुरस्कार (अप्रैल–2022 से दिसंबर–2022)

शैक्षणिक वर्ष	दसवीं कक्षा		बारहवीं कक्षा	
	छात्रों की संख्या	राशि रु.	छात्रों की संख्या	राशि रु.
2022	80	40,000 (80 x 500)	69	69,000 (69 x 1000)
कुल छात्रों की संख्या		स्वीकृत कुल राशिः रु. * – प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है और अनुमोदन के बाद कर्मचारी वेतन खाते के माध्यम से दिसंबर–2022 में भुगतान किया जाएगा।		

(iii) मृत्यु राहत निधि (अप्रैल–2023 से दिसंबर–2023)	
लाभार्थियों की कुल संख्या :	सेवारत कर्मचारियों के वेतन से वसूली गई मृत्यु राहत राशि मृतक कर्मचारी के नामिती को देय होगी।
(iv) पारिवारिक राहत (अप्रैल–2023 से दिसंबर–2023)	
लाभार्थियों की कुल संख्या :	पारिवारिक राहत राशि मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी को देय है।